तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.1.23	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 06.2.23 को पेश हो।	
06.2.23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म करने का निवेदन किया गया। चूंकि विवादित आराजी खेतहड़ सहखातेदारी सम्पत्ति होने तथा प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विवादित आराजी का बेचान या हस्तांतरण किया जाता है तो इसे अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होनी संभावित है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर पूर्व में दिनांक 20.12.2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को जारी रखते हुए ताफैसला वाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो।	